UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2006–औ0सं0 / 2024–02(यू0)ए0एस0 / 18 दिनांक : 26 जून, 2024

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ एवं कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 30.06.2024 से चरणबद्ध आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ के पत्र संख्या–10 / 24 दिनांक 10.06.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संघ द्वारा दिनांक 30.06.2024 से निम्नवत् चरणबद्ध आन्दोलन किये जाने का नोटिस दिया हैः–

1. दिनांक 30.06.2024 को जिला मुख्यालयों पर कैन्डिल मार्च निकालना।
2. दिनांक 08.07.2024 को शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ पर धरना प्रदर्शन।
3. दिनांक 09.07.2024 को कार्य बहिष्कार एवं शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ तथा जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा),उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–2548 / 24–पी–2–2023–1(121) / 04 दिनांक 18.01.2024 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–266–औ0सं0–17 / पाकालि / 2024–159–ए / 67 दिनांक 20.01.2024 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हड़ताल / आन्दोलन / धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तावित उक्त चरणबद्ध आन्दोलन एवं धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–2006–औ0सं0 / 2024, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0 / उ0प्र0एस0एल0डी0सी0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. पुलिस आयुक्त / जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक (क0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रॉ0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक(का0एवं प्रशा0),पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा
6. अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को आन्दोलन के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

एकता! रजि. सं. 10134 संघर्ष!! विश्वास!!! विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ	मो. खालिद मो. 8565087409	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माधुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय मो. 8400754341	रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	रण बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पत्रांक : 10/24 दिनांक 10-6-2024

154 /MDU/2024 11/06/2024

4042

No. /Dir(PM&A)/PCL/202....
R.D. 11/6/24
D.D. 12/6/24

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय— कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न करने, वेतन भुगतान में भेदभाव करने, समान कार्य का समान वेतन न देने, मार्च 2023 में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच न कराने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, दिनांक 14.04.2023 व 06.06.2023 के आदेश को वापस न लेने, समझौते का पालन न करने, आदि समस्याओं का समाधान न होने के कारण आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

Dir (P&A)
11/6/24
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

माननीय जी / महोदय जी,

अवगत कराना है कि –

GM(IR)

1. यह कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों का लेबर का अनुबन्ध कर लाइन मैन, उपकेन्द्र परिचालन आदि जैसे घातक व तकनीकी कार्य कराया जा रहा है।

2. यह कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा सैनिक कल्याण निगम से तैनात संविदा उपकेन्द्र परिचालकों का अनुबन्ध लगभग रू0 30,000/– का जबकि संविदाकारों के माध्यम से तैनात प्रशिक्षित एवं परिचालन कार्य में अनुभवी संविदा उपकेन्द्र परिचालकों का अनुबन्ध लगभग रू0 13,000/– का किया जा रहा है।

अपर निजी सचिव 11/06/24

SO

3. यह कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा मार्च 2023 में किये गये सांकेतिक हड़ताल में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार व संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 के बीच बनी सहमति के उपरान्त मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा खुली प्रेस वार्ता में कर्मचारियों को कार्य पर वापस जाने का निर्देश देते हुए सार्वजनिक घोषणा की गयी कि आन्दोलन के दौरान हुई सभी कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु मैंने यू0पी0पी0सी0एल0 के चेयरमैन को निर्देशित कर दिया है। किन्तु इसके बावजूद भी लगभग दो से तीन माह तक कार्य कराने के उपरान्त वेतन का भुगतान किये बगैर मन माने तरीके से मौखिक रूप से हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया, जिससे हटाये गये कर्मचारियों के सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने का आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

12/6/24
PO 14-06-24
SO Prashant Maurya 14-06-24

क्रमशः 2

एकता!   रजि. स. 19134   संघर्ष!!   विश्वास!!!   विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मालस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश उपाध्यक्ष	प्रदेश महामंत्री	संयुक्त मंत्री
मा. कौशल किशोर	मो. खालिद	सुरेन्द्र पाण्डेय	हर्षवर्धन	विवेक माथुरे	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक	संयुक्त मंत्री	संगठन मंत्री	संगठन मंत्री	प्रचार मंत्री	कार्यालय मंत्री	कोषाध्यक्ष
के.डी. मिश्र	मोती सिंह	हरिश्चन्द्र यादव	राम बहादुर सिंह यादव	रंजीत कनौजिया	सुशील कुमार	प्रमोद मिश्र

पूर्व

पत्रांक 10/24   दिनांक 10-6-2024

4. यह कि बार–बार अवगत कराये जाने के बावजूद भी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा ई0पी0एफ0 आदि में हुए घोटाले की जांच नहीं करायी जा रही है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक क्षति हो रही है।

5. यह कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी, मेसर्स अवनी परिधि व मेसर्स जनमेजय सिंह द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में किये गये अनियमितता की जांच हेतु जांच कमेटी गठित की गयी थी, जिसमें जांच कमेटी के अध्यक्ष इंजी0 अजय कुमार सिंह द्वारा संघ से, संघ द्वारा किये गये शिकायतों से सम्बन्धित अभिकथन एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिसको ध्यान मे रखकर संघ द्वारा अपने पत्र सं0–27/21 दिनांक 27.11.2021 के द्वारा शिकायत से सम्बन्धित अभिकथन एवं साक्ष्य जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किन्तु आज तक न तो कर्मचारियो को उसका कोई लाभ मिला और न ही जांच आख्या से संगठन कार्यालय को अवगत कराया गया।

6. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–15/2 दिनांक 15.02.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया गया था कि मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को पिछले 10 माह से उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। जिस पर प्रबन्धन द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में रू0 21,98,54,615.38 (इक्कीस करोड़ अट्ठानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह रूपये अड़तीस पैसे मात्र) का घोटाला कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–10/8 दिनांक 09.08.2023 एवं अन्य के माध्यम से उक्त गबन की धनराशि को वसूल कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराने के लिए अनेकों बार निवेदन किया गया, किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा संघ के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया। जिससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पडी है।

7. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–23/2 दिनांक 23.02.2023 एवं अन्य के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है कि मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों जैसे–हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं सहित अन्य जनपदों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे/कर चुके संविदा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है, जिसकी जांच करायी जाये, जो आज तक नहीं करायी गयी।

8. यह कि संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–8/8 दिनांक 09.08.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि जांच अधिकारी श्री चन्दपाल, अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड हमीरपुर द्वारा हमीरपुर जनपद में मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, हमीरपुर द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच की गयी थी जिसमे

क्रमशः 3

जांच अधिकारी द्वारा रू0 1,28,33,156.00 (रूपया एक करोड अट्ठाईस लाख तैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) की अनियमितता पायी गयी थी। संघ द्वारा उक्त गबन की धनराशि को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने हेतु अनेकों बार निवेदन किया गया किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा गबन की धनराशि को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में आज तक जमा नहीं कराया गया।

9. यह कि संघ द्वारा पत्र संख्या–23/8 दिनांक 26.08.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि मेसर्स नेशनल कम्पनी भरथना रोड इटावा द्वारा भविष्य निधि कार्यालय कानपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0सी0आर0 को जमा न करने के कारण कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जा रहा है, जिस पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

10. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–11/8 दिनांक 10.08.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि मेसर्स साधना सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0 लि0 व मेसर्स एस0के0 इलेक्टिकल्स द्वारा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमतता के कारण उक्त संविदाकारों की जमा प्रतिभूति को खण्डीय कार्यालयों द्वारा जब्त कर लिया गया है। संघ द्वारा निवेदन किया गया था कि उक्त संविदाकारों की जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये किन्तु पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

11. यह कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिये बगैर दबाव बनाकर कार्य कराने के कारण आये दिन बड़े पैमाने पर दुर्घटनायें हो रही हैं तथा दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों का उपचार नहीं कराया जा रहा है। उपचार के अभाव में कर्मचारियों की असमय मृत्यु हो रही है। जिस पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

12. यह कि संघ द्वारा पत्र सं0–12/8 दिनांक 09.08.2023 एवं अन्य के द्वारा 162 घायल आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची संलग्न करते हुए अवगत कराया गया था कि बिजली की चपेट में आने या खम्भे से नीचे गिर कर घायल हुए कर्मचारियों को ई0एस0आई0सी0/डब्लू0सी0 का लाभ न मिलने के कारण घायल कर्मचारियों द्वारा अपने पास से उपचार कराया गया है। संघ द्वारा निवेदन किया गया था कि सूची की जांच कराकर घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान किया जाये जो आज तक नहीं किया गया।

13. यह कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 14.04.2023 को आउटसोर्स कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण के आदेश के सम्बन्ध में संघ द्वारा अपने नोटिस संख्या–6/10 दिनांक 06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा

क्रमशः 4

अवगत कराया जा चुका है कि प्रबन्ध निदेशक महोदय के उक्त आदेश से जहां एक तरफ मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2018 का उल्लंघन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रू0 8000/- से रू0 10,000/- वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन का एक बड़ा भाग आने जाने में खर्च हो जायेगा जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट पैदा हो जायेगा तथा लाइनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित होगा।

14. यह कि संघ द्वारा अपने नोटिस संख्या-6/10 दिनांक 06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किये गये आदेश से विगत 10 वर्षो से अधिक समय से संविदाकारों के माध्यम से रू0 13,000/- के अनुबन्ध पर कार्य कर रहे प्रशिक्षित एवं अनुभवी संविदा उपकेन्द्र परिचालकों के स्थान पर पूर्व सैनिक कल्याण निगम से लगभग रू0 30,000/- के अनुबन्ध पर संविदा उपकेन्द्र परिचालकों को तैनात करने से जहां एक ओर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2018 का उल्लंघन होगा। वहीं दूसरी तरफ हजारों कर्मचारियों के सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट पैदा हो जायेगा तथा लाइनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। जिससे सरकार/विभाग की छवि धूमिल होगी।

15. यह कि दिनांक 21.12.2022 को संघ व प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मेसर्स आदर्श पावर प्रोपराइटर सुनीता चौबे द्वारा वितरण मण्डल गोण्डा में आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जो आज तक नहीं की गयी।

16. यह कि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन से बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी उक्त समस्याओं का समाधान न होने के कारण संघ द्वारा अपने पत्र संख्या- 16/5 दिनांक .16.05.2023 के माध्यम से दिनांक 29.05.2023 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था। किन्तु अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराने के कार्यक्रम को स्थगित करने की शर्त पर उक्त समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद संघ द्वारा अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन के आश्वासन पर अपने पत्र सं0 26/5 दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराने के निर्णय को वापस ले लिया गया। इसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकृष्ट करने हेतु संघ द्वारा 11चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम किया गया। इसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिसके कारण संघ द्वारा 12वें चरण में 05 फरवरी 2024 को शक्ति भवन, मुख्यालय लखनऊ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके फलस्वरूप 9 फरवरी 2024 को प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ तथा दिनांक 12 फरवरी 2024 को निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) शक्ति भवन, लखनऊ व संघ के बीच वार्ता हुई। जिसमें कार्य के अनुरूप अनुबन्ध करने, वेतन भुगतान में भेदभाव न करने, मार्च 2023 में गलत तरीके से

क्रमशः 5

पूर्व

पत्रांक : 10/24 दिनांक 10-6-2024

हटाये गये कर्मचारियों को जांच कराकर कार्य पर वापस लेने, ई0पी0एफ0 घोटाले की जांच कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काट कर भुगतान करने, मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, हमीरपुर द्वारा हमीरपुर जनपद के आउटसोर्स कर्मचारियों के रू0 1,28,00,000/– ई0पी0एफ0 के पैसे को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने की रसीद देने, पेट्रोल व मोबाइल भत्ता देने, पूर्व से कार्य कर रहे संविदा उपकेन्द्र परिचालकों के स्थान पर सैनिक कल्याण निगम से उपकेन्द्र परिचालकों को तैनात न करने आदि पर सहमति बनी। किन्तु वार्ता का कार्यवृत्त नहीं दिया गया और न ही आज तक समझौते का पालन किया गया। *इस बीच संघ द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन से कई बार समय मांगा गया। किन्तु अध्यक्ष पावर कार्पोरेशन द्वारा बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की उक्त समस्याओं के समाधान करने हेतु समय नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप संघ द्वारा दिनांक 17.06.2024 से जागरूकता अभियान चलाने दिनांक 30.06.2024 को जिला मुख्यालयों पर कैंडिल मार्च निकालने दिनांक 08.07.2024 को शक्ति भवन लखनऊ पर धरना प्रदर्शन करने तथा इससे भी समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में दिनांक 09.07.2024 से कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालयों से लेकर शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ तक, पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।* इस बीच यदि किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया तो संघ द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराने हेतु कर्मचारियों सहित मा0 ऊर्जा मंत्री जी के आवास के लिए कूच कर दिया जायेगा जिसमें होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति अथवा औद्योगिक अशान्ति की जिम्मेदारी पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन की होगी।

अतः माननीय जी/महोदय जी, से निवेदन है कि द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की उक्त समस्याओं के समाधान कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–मांग पत्र संलग्न।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 नं0 : 8400754341

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. श्रीमान अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. श्रीमान जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. श्रीमान पुलिस आयुक्त, महानगर, लखनऊ।
6. श्रीमान पुलिस उपायुक्त, हजरतगंज, लखनऊ।
7. श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त, हजरतगंज लखनऊ।
8. श्रीमान अपर/सहायक श्रमायुक्त, ए0पी0सेन रोड, चाराबाग, लखनऊ।
9. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, लखनऊ।
10. समस्त दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

एकता!   रजि. सं. 10134   संघर्ष!!   विश्वास!!!   विजय!!!!

उ.प्र. पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, लखनऊ

प्रधान कार्यालय : 356/318/281 मानस विहार, सरीपुरा, आलमनगर रोड, लखनऊ

मुख्य संरक्षक मा. कौशल किशोर, सांसद, मोहनलालगंज, लखनऊ | प्रदेश अध्यक्ष मो. खालिद, मो. 8565087409 | प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेय | प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन | प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे | प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 8400754341 | संयुक्त मंत्री रमेश चन्द्र राजपूत

संरक्षक के.डी. मिश्र | संयुक्त मंत्री मोती सिंह | संगठन मंत्री हरिश्चन्द्र यादव | संगठन मंत्री रण बहादुर सिंह यादव | प्रचार मंत्री रंजीत कनौजिया | कार्यालय मंत्री सुशील कुमार | कोषाध्यक्ष प्रमोद मिश्र

पूर्व

दिनांक 10-6-2024

पत्रांक : 10/24

मांग–पत्र

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों की निम्न मांग इस प्रकार है –

1. आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबन्ध किया जाये। अर्थात लाइन/उपकेन्द्र परिचालन/कम्प्यूटर आपरेटिंग का कार्य करने वाले कर्मचारियों का लाइन मैन/उपकेन्द्र परिचालक/कम्प्यूटर आपरेटर का अनुबन्ध किया जाये।

2. आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रू0 18000/– निर्धारित कर उ0प्र0 सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले हित लाभों को दिया जाये या सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों की भांति वेतन का भुगतान किया जाये या समान कार्य का समान वेतन दिया जाये।

3. मा0 ऊर्जा मंत्री जी के घोषणा के अनुरूप मार्च 2023 में हटाये गये कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान कराते हुए उन्हें कार्य पर वापस लिया जाये तथा कर्मचारियों/पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को वापस लिया जाये।

4. आउटसोर्स कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में हुए घोटाले की जांच करायी जाये तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते की के0वाई0सी0 कराते हुए उनके ई0पी0एफ0 खातों का एकीकरण कराया जाये।

5. मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दिनांक 27.10.2021 को दिये गये निर्देश का पालन करते हुए मेसर्स टी0डी0एस0 कम्पनी, मेसर्स अवनी परिधि व मेसर्स जनमेजय सिंह द्वारा ई0पी0एफ0 आदि में किये गये अनियमितता की, की गयी जांच कि जांच आख्या उपलब्ध कराते हुए ई0पी0एफ0 के पैसे को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

6. मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 आदि में किये गये घोटाले की रकम रू0 21,98,54,615.38 (इक्कीस करोड़ अट्ठानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह रूपये अड़तीस पैसे मात्र) को वसूल कर कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

7. मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच करायी जाये तथा मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, हमीरपुर द्वारा हमीरपुर जनपद के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 में किये गये घोटाले की धनराशि रू0 1,28,33,156/– (रूपया एक करोड़ अट्ठाइस लाख तैतीस हजार एक सौ छप्पन मात्र) को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये या उक्त धनराशि को भविष्य निधि खाते में जमा करने की रसीद उपलब्ध करायी जाये।

पत्रांक : 10/24 दिनांक 10-6-2024

8. मेसर्स नेशनल कम्पनी भरथना रोड इटावा से कर्मचारियों के ई0सी0आर0 की प्रमाणित प्रति भविष्य निधि कार्यालय कानपुर में जमा कराया जाये।

9. मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन्स प्रा0 लि0 व मेसर्स एस0के0 इलेक्ट्रिकल्स द्वारा ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की धनराशि को उनके जब्त प्रतिभूति से कटौती कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

10. आउटसोर्स कर्मचारियों की दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण दिया जाये तथा अनुबन्ध के अनुरूप कर्मचारियों से कार्य लिया जाये।

11. दुर्घटना के शिकार आउटसोर्स कर्मचारियों का कैशेलेस उपचार कराया जाये तथा कर्मचारियां द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर दिया जाये।

12. दुर्घटना में विकलांग हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति एवं जीवन यापन भत्ता दिया जाये।

13. दुर्घटना में मृत आउटसोर्स कर्मचारियों के परिजनों को रू0 10,00,000/— दुर्घटना हित लाभ दिया जाये।

14. संघ के पत्र सं0— 15/4 दिनांक 15.04.2023 के साथ संलग्न सूची की जांच कराकर 162 आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान किया जाये।

15. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ के आदेश दिनांक 14.04.2023 एवं 06.06.2023 को वापस लिया जाये।

16. आउटसोर्स कर्मचारियों को मोबाइल व पेट्रोल भत्ता दिया जाये।

17. महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाये।

18. आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की अवस्था तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाये।

19. प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 21.09.2023 को निरस्त कर दिनांक 12.10.2020 के आदेश को लागू किया जाये।

20. मेसर्स आदर्श पावर प्रोपराइटर सुनीता चौबे द्वारा विद्युत वितरण गोण्डा में आउटसोर्स कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 में किये गये अनियमितता की जांच कराकर कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 के पैसे को उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाये।

21. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाये तथा नियमित भर्ती के समय वरियता दी जाये।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रदेश महामंत्री
मो0 नं0 : 8400754341

256 ... -17/ .../24
... 1
क्रमांक 159-A/67

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः– 2548/24–पी–2–2023–1(121)/04
लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2024

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3– उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7– पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8– पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– 2548/24–पी–2–2023–1(121)/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.01.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

SO
19-01-24
ARO(R)/ Ro ... Banjeel
19/1/24

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–266–औ0सं0–17/पाकालि/2024–159–ए0/67

दिनांक : 20, जनवरी, 2024

स्पीड–पोस्ट/
ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0, एवं केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

विषय– उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन (ऊर्जा) की अधिसूचना आदेश संख्या–2548/24–पी–2–2023–1(121)/04 दिनांक 18.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय
Kumar 20/1/24
(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औसं0)

संख्याः– 266(I) औसं–17/पाकालि/2024– तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–2 की अधिसूचना आदेश संख्या–2548/24–पी–2–2023–1(121)/04 दिनांक 18.01.2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/एस0एल0डी0सी0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23–ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ।
14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/समस्त कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :– यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औसं0)

संख्याः– 266(II) औसं–17/पाकालि/2024– तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औसं0)